

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

संख्या : 1/पी0-439/2006-सा0प्र0-4004/पटना-15, दिनांक : 25 मार्च, 2014


विषय:- भारतीय प्रशासनिक सेवा के संवर्गीय पदाधिकारियों की नियुक्तियों (पदस्थापन /स्थानांतरण) हेतु सिविल सर्विस बोर्ड का गठन।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना सा0का0नि0-67 (अ) दिनांक-28.01.2014 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) संशोधन नियमावली, 1954 लागू किया गया है। उक्त संशोधन नियमावली के द्वारा नियम-7 में किये गए प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार नियम-7 (1) में विनिर्दिष्ट अनुसूची में निरूपित सिविल सेवा बोर्ड का गठन अगले आदेश तक निम्नवत् करती है:-

- | | | | |
|-------|--|---|------------|
| (i) | मुख्य सचिव, बिहार | - | अध्यक्ष |
| (ii) | श्री अशोक कुमार चौहान, भा0प्र0से0 (80)
अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद | - | सदस्य |
| (iii) | प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार | - | सदस्य सचिव |
- 2 सिविल सेवा बोर्ड उक्त नियम-7(1) की विनिर्दिष्ट अनुसूची में वर्णित कार्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करेगा।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी एक सौ प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग (प्रशाखा-01) को उपलब्ध करायी जाय।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(वीरेन्द्र प्रसाद सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-1/पी0-439/2006-सा0प्र0-4004/पटना-15, दिनांक : 25 मार्च, 2014

प्रतिलिपि:- उप सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित/ श्रीमती दीप्ति उमाशंकर, संयुक्त सचिव (एस एण्ड वी -II), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/ श्री अशोक कुमार चौहान, भा0प्र0से0 (80), अध्यक्ष-सह- सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (वित्त विभाग को सी0 डी0 के साथ उपलब्ध कराने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)/प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा-01 एवं 06), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव